

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 264/2022

अनवान : -

1. सन्तलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

- सायला

बनाम्

1. जयलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. जसवन्त सिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. सावित्री देवी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. राधा देवी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल  
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक: 13/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खात संख्या 79/69 की कुल 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता संख्या 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गैरसायल स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के वाद भूमि दर्ज हो गयी जबकि वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम थी। गैरसायल संख्या 1 को अपने पिता के फौत होने पर उक्त वाद भूमि विरासतन प्राप्त हुयी है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायला व गैरसायल संख्या 2 ता 4 का गैरसायल संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण सायल के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए सायल विवादित भूमि मे अपना जो भी हक हिस्सा है राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

गैरसायल स0 1 पारिवारिक कारणों से सायल से नाराज रहता है उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ती बाद में

किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें की वादग्रस्त भूमि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खात संख्या 79/69 की कुल 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता संख्या 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या संख्या 1 रहन, बैय व मुंतकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खात संख्या 79/69 की कुल 4.9320 हैक्ट भूमि में से 1/2 व रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता संख्या 140/67 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 155921/357390 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण 1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करें। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद ग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 जीवनकाल में सायल किसी कदर हक व हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी नहीं है। सायल क्लीन हैण्ड अदालत में नहीं आयी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं:-

1. प्रथम दृष्टया मामला:-प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायलान को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायल को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरुसी दादालाई , एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी

निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र सालया के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायलान इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

2 सुविधा का संतुलन:- अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायला को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि प्रथम दृष्टया दादालाई प्रतीत होती है यदि गैरसायल भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देता है तो सायल को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 अपूर्णीय क्षति:- उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सालया के पक्ष में साबित हुए हैं। चूंकि सायला का विवादित भूमि में अपने हको की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि प्रकरण में सायल को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायल के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायला अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 28.12.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर